कार्यालय अपर जिलाधिकारी (भू0अ0), गाजियाबाद।

पत्रांकः /आठ–अ0जि0अ0/भू0अ0/मा.प्ला.रो.–45/गा0बाद दिनांक अक्टूबर,2020

सर्वसाधारण सूचना (पब्लिक नोटिस)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद की राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र अन्तर्गत 45 मीटर चौड़ी मास्टर प्लान रोड के निर्माण हेतु राजस्व ग्राम मकरमतपुर सिकरोड, परगना जलालाबाद, तहसील व जिला गाजियाबाद की 3.4418 हैक्टेयर भूमि का अर्जन प्रस्ताव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसमें भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत धारा–11 की अधिसूचना निर्गत कराये जाने हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (उत्तर प्रदेश) नियमावली 2016 के नियम 4 (6) एवं शासनादेश संख्या 491/एक–13–2014–7क(51) –2014 दिनांक 6 अगस्त 2014 (असाधारण गजट) में दी गई व्यवस्था के अनुरूप जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा अपने आदेश दिनांक 04.02.2020 के तहत कमेटी गठित कर अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) गाजियाबाद को नोडल अधिकारी नामित किया गया है तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला अर्थ एवं सांख्यिकीय अधिकारी को समिति का सदस्य नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त अर्जन से सम्बन्धित ग्राम के पार्षद/प्रधान को भी समिति का सदस्य नामित किया गया है।

समुचित सरकार/कलेक्टर गाजियाबाद द्वारा अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिनियम की धारा 4 (1) के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के सम्बन्ध में अधिसूचना प्रारूप 1 में निर्गत कर दी गई है।

अतः समुचित सरकार/कलेक्टर गाजियाबाद द्वारा जारी अधिसूचना का व्यापक प्रचार प्रसार के अन्तर्गत मुनादी, सर्वसाधारण सूचना व अधिसूचना को नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाये।

(कमलेश चन्द्र)
अपर जिलाधिकारी,(भू0अ0)
गाजियाबाद।

पत्रांक/ 1262(7) **दिनांक** 22-10-2020

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सर्वसाधारण सूचना व अधिसूचना की प्रति संलग्न करते हुए इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने–अपने विभाग के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।

1. जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद को सूचनार्थ।
2. सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
4. उप जिलाधिकारी (सदर), गाजियाबाद।
5. प्रभारी अधिकारी (नजारत), कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
6. तहसीलदार, सदर, गाजियाबाद।
7. प्रभारी अधिकारी एन0आई0सी0 को इस निर्देश के साथ कि सर्वसाधारण सूचना व संलग्न अधिसूचना को जिला अथवा सरकार की अधिकारिक वेबसाईड पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. पार्षद ग्राम मकरमतपुर सिकरोड परगना जलालाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सर्वसाधारण सूचना व अधिसूचना को सार्वजनिक स्थान पर चस्पा कराते हुये, ग्राम में डुग्गी पिटवाकर मुनादी करानें हेतु व मुनादीकर्ता से मुनादी करने के शुल्क की रसीद भी प्राप्त कर उलब्ध कराने का कष्ट करें।

अपर जिलाधिकारी, (भू0अ0)
गाजियाबाद।

कार्यालय जिलाधिकारी/कलैक्टर, गाजियाबाद

पत्रांक 1259 /आठ-अ०जि०अ०/भू०अ०/मा०प्ला०रोड-45/गा०बाद दिनांक 22-10-2020

भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अर्न्तगत सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु प्रारम्भिक अधिसूचना

राज्य सरकार ग्राम मकरमतपुर सिकरोड परगना जलालाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद मे परामर्श करके निम्नांकित भूमि के अर्जन का प्रयोजन करेगी और लोक हित में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन को कियान्वित करेगी। भूमि अर्जन, पुर्नर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–4 में दिये गये प्रावधान के अर्न्तगत अध्ययन किया जायेगा।

- अपेक्षक निकाय का नाम : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद
- प्रस्तावित भूमि के अर्जन का उद्देश्य : राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में 45.00 मीटर चौड़ी मास्टर प्लान रोड के निर्माण हेतु
- संगठन जिसके द्वारा अध्ययन किया जायेगा : अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) गाजियाबाद/ नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी।
- संगठन का सम्पर्क विवरण : कार्या0 अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) कलैक्ट्रेट गाजियाबाद
- भूमि का विवरणः–

जिला	तहसील	ग्राम	गाटा सं0	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (है0 में)
गाजियाबाद	गाजियाबाद	मकरमतपुर सिकरोड		
			3मि0	0.2632
			5मि0	0.1847
			6	0.3860
			10मि0	0.2305
			51मि0	0.2858
			52मि0	0.1125
			62मि0	0.4365
			84मि0	0.0810
			87मि0	0.3280
			90मि0	0.0250
			91मि0	0.0160
			94मि0	0.1080
			100मि0	0.2241
			101	0.1510
			103मि0	0.0045
			106मि0	0.6050

- प्रस्तावित परियोजना से होने वाले लाभ तथा संक्षिप्त विवरण : सार्वजनिक परिवहन एवं जनसामान्य के आवागमन को सुगम बनाने हेतु।
- परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्रफल : 3.4418 हैक्टेयर
- क्या ग्राम सभा और/ अथवा भू स्वामी की सहमति की आवश्यकता है? : अर्जन निकाय द्वारा भूस्वामी से आपसी समझौते के आधार पर भूमि देने हेतु सम्पर्क किया गया लेकिन भूस्वामी भूमि देने को तैयार नही।
- सामाजिक समाघात निर्धारण की पूर्ण होने की तिथी : सूचना के प्रकाशन के अधिकतम 06 माह के अर्न्तगत

<u>टिप्पणी</u>– कलेक्टर अर्जन (प्रयोजनार्थ) कार्यालय में सभी कार्य दिवस मे विस्तृत विवरण देखा जा सकता है।

आज्ञा से

समुचित सरकार/
कलैक्टर गाजियाबाद